



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

26 फाल्गुन 1931 (श0)
(सं0 पटना 179) पटना, बुधवार, 17 मार्च 2010

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

16 मार्च 2010

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) नियमावली, 2010

सं0 8/भू0सु0 9-2/2009-230(8) रा0—बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 (1962 का बिहार अधिनियम 12) की धारा-45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, बिहार, बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) नियमावली, 1963 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ —(1) यह नियमावली बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) नियमावली, 2010 कही जा सकेगी।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) नियमावली, 1963 के नियम-44 के उप-नियम-(1) के खंड- (i) में संशोधन-नियम 44 के उप-नियम (1) के खंड-(i) में शब्द "उप-धारा-(1)" के बाद तथा शब्द "धारा-27 की" पहले शब्द "या उप-धारा-(1 क)" अन्तः स्थापित किया जायगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सी0 अशोकवर्धन,

प्रधान सचिव।

The 16th March 2010

THE BIHAR LAND REFORMS (FIXATION OF CEILING AREA AND ACQUISITION OF SURPLUS LAND) (AMENDMENT) RULES, 2010

No. 8/भू०सु० 9-2/2009-230(8) रा०—In exercise of the powers conferred by Section 45 of The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 1961 (Bihar Act 12 of the 1962), the Governor of Bihar is pleased to make the following amendment Rules to amend The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Rules, 1963 :—

1. *Short title and commencement.*—(1) These rules may be called The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Rules, 2010.

(2) It shall come into force at once.

2. *Amendment in clause (i) of Sub-rule (1) of rule 44 of The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Rules, 1963* :—In clause - (i) of sub-rule-(1) of Rule 44 after the words "Sub section (1) " and before the words " of Section 27" the words " or Sub-section (1a)" shall be inserted.

By order of the Governor of Bihar,

C. ASHOKWARDHAN,

Principal Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 179-571+750-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>